

**कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग,
—:: सार्वजनिक सूचना ::—**

क्रमांक/ 1028 / भू-अर्जन/ आ0क्र0नि0-16

दुर्ग, दिनांक 12/03/2020

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि की सेलूद-जामगांव-रानीतराई-पाटन मार्ग निर्माण योजना में ग्राम :- असोगा प.ह.नं. 27 तहसील-पाटन व जिला-दुर्ग (छ.ग.) के भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ शासन की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 2016 के प्रावधानों के तहत अनुसूची में वर्णित भूमि को छत्तीसगढ़ रोड डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर (छ.ग.) के पक्ष में क्रय करने का विचार किया जा रहा है।

(क्रय की जाने वाली भूमि व कृषकों के विवरण)

जिला	तहसील	नगर/ ग्राम	स. क्र.	भूमि स्वामी का नाम व पिता/पति का नाम		क्रय की जाने वाली भूमि हे. में			स्थावर परिसंपत्तियों का विवरण	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
						खसरा	रकबा	प्रभावित रकबा (व.मी.में)		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	
दुर्ग	पाटन	असोगा	1	राजेन्द्र	हगरू	791	0.0089	8.93	कच्चा मकान निजी भूमि	सेलूद - जामगांव- रानीतराई - पाटन मार्ग निर्माण योजना ग्राम असोगा प. ह.नं. 27 तहसील पाटन जिला दुर्ग (छ.ग.)
"	"	"	2	राजेन्द्र	हगरू	792	0.0015	15.35	मिट्टी का घेरा निजी भूमि	
"	"	"	3	लोकनाथ	राजाराम	825	0.0049	49.30	मिट्टी का घेरा निजी भूमि	
"	"	"	4	कामता	जगदीश	847 टु.	0.0029	29.30	कच्चा मकान (आबादी भूमि)	
"	"	"	5	कामता	जगदीश	847 टु.	0.0017	16.74	मिट्टी का घेरा (आबादी भूमि)	
"	"	"	6	गुहलेद	हलालखोर	776 टु.	0.0018	17.86	कूच्चा मकान (आबादी भूमि)	
"	"	"	7	रमेश	कृष्णा	847 टु.	0.0006	5.58	दुकान (आबादी भूमि)	
"	"	"	8	चम्पा	जयपाल	776 टु.	0.0023	22.79	कच्चा मकान (आबादी भूमि)	
"	"	"	9	चिन्ताराम	चैतुराम	847 टु.	0.0022	21.77	मिट्टी का घेरा (आबादी भूमि)	
"	"	"	10	रामनाथ	रजऊ	847 टु.	0.0005	5.30	ईट का घेरा (आबादी भूमि)	

			11	भोजराम	डेरहाराम	847 टु.	0.0020	19.54	लकड़ी का घेरा (आबादी भूमि)
			12	मन्नुलाल	आत्माराम	847 टु.	0.0022	21.77	शौचालय + घेरा (आबादी भूमि)
			13	रामचन्द्र	केजरु	586	0.0014	13.95	कच्चा दुकान (पट्टा प्राप्त नहीं)
				कुल योग-13 खातेदार		13	"	248.38	"

02- यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो सूचना के प्रकाशन की तिथि के 15 दिवस के भीतर अपना दावा आपत्ति आधार सहित लिखित में कलेक्टर दुर्ग के समक्ष स्वयं अथवा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है।

(अंकित आनंद)

कलेक्टर जिला दुर्ग (छ.ग.)

एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तसीगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग,

दुर्ग, दिनांक 12/03/2020

क्रमांक / 1025 / भू-अर्जन / आ0क्र0नि0-16

1. अनुविभागीय अधिकारी (रा0) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पाटन जिला-दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. कार्यपालन अभियंता लो.नि.वि. सेतु निर्माण संभाग रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। सार्वजनिक सूचना को एक राज्य स्तरीय दैनिक सामाचार पत्र एवं स्थानीय सामाचार पत्र प्रकाशित किया जाना सुनिश्चित करें।
3. प्रभारी अधिकारी, एन.आई.सी. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ। कृपया सार्वजनिक सूचना को छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग के वेबसाईट एवं कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) दुर्ग (छ.ग.) वेबसाईट में अपलोड कर सुनिश्चित करें।
4. तहसीलदार, पाटन/दुर्ग, जिला दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. सारपंच ग्राम पंचायत-असोगा तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग (छ0ग0) की ओर सूचनार्थ प्रेषित एवं ग्राम पंच के सूचना बोर्ड में प्रकाशन हेतु।

(अंकित आनंद)

कलेक्टर जिला दुर्ग (छ.ग.)

एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तसीगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग,